

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संचिका संख्या- ख०भू०(योजना)-09/2024

/एम०, रांची, दिनांक-

प्रेषक,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, रांची।

द्वारा:- (आंतरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में STATE SCHEME DIRECTORATE OF MINES (0869) अन्तर्गत बजट प्रावधानित कुल राशि रु० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 338/बजट, दिनांक- 28.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति प्रदत्त है। निदेशक, खान के अधियाचना पत्रांक- 839/एम०, दिनांक- 21.03.2025 के आलोक में खान निदेशालय के लिए माँग संख्या- 29- खान एवं भूतत्व विभाग- मुख्य शीर्ष- 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग- उप मुख्य शीर्ष- 02-खानों का विनियमन तथा विकास-लघु शीर्ष- 001- निदेशन तथा प्रशासन- उप शीर्ष- 07-खनन स्थापना (राज्य स्कीम) STATE SCHEME DIRECTORATE OF MINES (0869) अन्तर्गत निम्नांकित इकाईयों में बजट प्रावधानित (यथा स्तम्भ- 04) कुल रु० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र के व्यय की निम्नवत स्वीकृति (यथा स्तम्भ-05) प्रदान की जाती है-

(राशि रु० में)

क्रम सं०	विस्तृत शीर्ष	ईकाई /विपत्र कोड	बजट प्रावधान (B.E. 2025-26)	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	03- प्रशासनिक व्यय	15-कार्यालय व्यय / 29-S-2853-02-001-07-00-03-15	10,00,000	10,00,000
2		17-कार्यालय उपकरण / 29-S-2853-02-001-07-00-03-17	45,00,000	45,00,000
3		18-प्रकाशन / 29-S-2853-02-001-07-00-03-18	20,00,000	20,00,000
4		21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला / 29-S-2853-02-001-07-00-03-21	40,00,000	40,00,000
5		23-आपूर्ति एवं सामग्री / 29-S-2853-02-001-07-00-03-23	10,00,000	10,00,000
6		29-व्यावसायिक सेवाएँ / 29-S-2853-02-001-07-00-03-29	2,00,00,000	2,00,00,000
7		31-परामर्शी शुल्क / 29-S-2853-02-001-07-00-03-31	8,00,00,000	8,00,00,000
8		35-प्रशिक्षण व्यय / 29-S-2853-02-001-07-00-03-35	10,00,000	10,00,000
9	04-मोटरगाड़ियां / ईंधन	40-नई मोटरगाड़ी का क्रय / 29-S-2853-02-001-07-00-04-40	25,00,000	25,00,000
10		41-मोटर वाहन / 29-S-2853-02-001-07-00-04-41	10,00,000	10,00,000
11	05-निर्माण	43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) / 29-S-2853-02-001-07-00-05-43	30,00,000	30,00,000
12	08-लेखा समायोजन	86-वापसी / 29-S-2853-02-001-07-00-08-86	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल			13,00,00,000	13,00,00,000

राजीव
A.S.O.

25

कुल स्वीकृत राशि रु० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र

2. योजना की उपरोक्त स्वीकृत राशि में से आवंटन सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- 2561/वि०, दिनांक- 17.04.1998 (अंगीकृत) एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1681/वि०, दिनांक- 10.06.2015 के आलोक में निदेशक, खान, खान निदेशालय को किया जायेगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, खान, खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके द्वारा खान निदेशालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को योजना की स्वीकृत राशि के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि उप आवंटित की जायेगी। उसके अनुरूप संबंधित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से आवंटित राशि की निकासी की जा सकेगी।
4. राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- 2561/वि०, दिनांक- 17.04.1998 (अंगीकृत) एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1681/वि०, दिनांक- 10.06.2015, पत्रांक- 338/बजट, दिनांक- 28.03.2025 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी एवं इन परिपत्रों के संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों / आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उपरोक्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक- 249, दिनांक- 13.02.2025 के साथ संलग्न योजना आलेख (Annual State Plan F.Y. : 2025-26) तथा खानों के निदेशन / प्रशासन / विनियमन / विकास संबंधी केंद्र सरकार / राज्य सरकार के संबंधित अधिनियमों, नियमों, संकल्पों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि के अनुसार किया जायेगा।
6. उपरोक्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या- 2315, दिनांक- 04.10.2024 द्वारा अधिसूचित "Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual" का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां/ईंधन के इकाई 40-नई मोटरगाड़ी का क्रय एवं इकाई 41- मोटरवाहन से नए वाहनों के क्रमशः क्रय एवं बाह्य स्रोत से अधिप्राप्ति में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2316/वि०, दिनांक- 04.10.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण इकाई-43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अन्तर्गत कार्यों का कार्यान्वयन प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर एवं लोक निर्माण संहिता एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड सरकार का अधिसूचना संख्या- 1269, दिनांक- 21.09.2023 की कंडिका 9.6 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही कराया जायेगा। साथ ही अन्य विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों में व्यय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों / प्रावधानों के आलोक में ही किया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय में बजट मैनुअल, झारखण्ड वित्त नियमावली तथा झारखण्ड कोषागार संहिता विशेषकर नियम-174 का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।
10. वित्त विभागीय पत्रांक- 1201/वि०, दिनांक- 27.03.2017 के आलोक में सभी विपत्रों का CMP के माध्यम से e-payment किया जायेगा। योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 3078/वि०, दिनांक- 18.09.2017 एवं पत्रांक- 2428/वि०, दिनांक- 18.07.2017 में उल्लेखित मामलों की स्थिति में वित्त विभागीय इन पत्रों में यथाविहित तरीके से राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकेगा।
11. योजना की स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-1269, दिनांक- 21.09.2023 के आलोक में दी जा रही है।
12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग की सहमति प्राप्त है।
14. Online स्वीकृत्यादेश संख्या- 63..... संलग्न है।

अनु०- यथोक्त।

राजीव
A.S.O.


(DS)

विश्वासभाजन

ह०/-

(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024

/एम०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024

/एम०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान/वरीय आस सचिव/ सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आस सचिव/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग/ निदेशक, खान, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024

10 /एम०, राँची, दिनांक-28/05/25

प्रतिलिपि- श्री कुमार अमिताभ, नोडल पदाधिकारी-सह-Administrator, Jharkhand State Portal Project- सह- उप निदेशक, भूतत्व, भूतत्व निदेशालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को झारखण्ड स्टेट पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

राजीव
A.S.O.


(DS)


सरकार के सचिव